



2026:AHC: 63168-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2581/2019

सोहन प्रताप धानुक

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अंबरीश कुमार, घन श्याम दास, कमलेश कुमार त्रिपाठी, सोनू मलिक
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

और 2 संबंधित वाद

न्यायालय संख्या - 42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. ये तीनों अपीलें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), न्यायालय संख्या 01, औरैया द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 69पी/2016 जो मुकदमा अपराध संख्या 214/2016 से उत्पन्न है और सत्र परीक्षण संख्या 71 वर्ष 2017 जो अपराध संख्या 214 वर्ष 2016 से उत्पन्न है, में पारित एक साझा निर्णय और आदेश दिनांक 02.3.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता सोहन प्रताप धानुक, जिसने आपराधिक अपील संख्या 2581 वर्ष 2019 प्रस्तुत की है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 120-बी/372 और 372/511 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई; अपीलकर्ता सतीश, जिसने आपराधिक अपील संख्या 3908 वर्ष 2019 प्रस्तुत की है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी पठित धारा 372

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और 372/511 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया और पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई; तथा अपीलकर्ता-नीतू दोहरे, जिसने आपराधिक अपील संख्या 3903 वर्ष 2019 प्रस्तुत की है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी पठित धारा 372 और 372/511 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया और पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 3.9.2016 को, प्रथम सूचक की पुत्री अपने मामा सोहन प्रताप धानुक के साथ उसके गांव गई थी। एफआईआर के अनुसार, पीड़िता को सोहन प्रताप द्वारा छोटी बच्चियों को धार्मिक भोजन कराने (कन्या खिलाना) के उद्देश्य से ले जाया गया था। एफआईआर में आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता की आयु 14 वर्ष थी और वह अपने मामा सोहन प्रताप के साथ सुबह 11.00 बजे गई थी। रात 11.00 बजे, प्रथम सूचक के एक अन्य साले अनुज ने फोन करके बताया कि उसकी पुत्री रो रही है और अभियुक्त सोहन प्रताप पीड़िता को हर जगह घुमा रहा है। यह सूचना मिलने पर प्रथम सूचक की पत्नी विंध्यवासिनी गई और अपनी पुत्री को अपने भाई के घर से ले आई। जब पुत्री अपने घर (अर्थात् अपने माता-पिता के घर) पहुंच गई, तो प्रथम सूचक ने कुछ पूछताछ की और यह पता चला कि उसका छोटा साला सोहन प्रताप पुत्री को अपने गांव इंदापामऊ में सतीश के पास ले गया था और सतीश तथा सोहन प्रताप उसके बाद गांव कन्नो में एक नीतू के पास गए थे। पूछताछ के दौरान उसे यह भी पता चला कि उन्होंने पुत्री को 50,000/- रुपये में बेचने की योजना बनाई थी। पूछताछ के दौरान उसे यह भी पता चला कि नीतू काले जादू का विशेषज्ञ था और उन्होंने पीड़िता का लिवर (यकृत) बेचने की भी योजना बनाई थी। एफआईआर 6.9.2016 को अर्थात् घटना के 3 दिन बाद दर्ज की गई थी और प्रथम सूचक ने कहा था कि देरी इस तथ्य के कारण हुई कि पीड़िता ने तुरंत पूरी कहानी नहीं बताई थी। एफआईआर में यह भी कहा गया था कि जब सोहन प्रताप पीड़िता को 3.9.2016 को ले गया था तो रात 10.00 बजे उसने पीड़िता के साथ बलात्कार का अपराध भी किया था।

3. एफआईआर दर्ज होने के पश्चात्, पीड़िता का बयान 7.9.2016 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज कराया गया था। इस प्रकार दर्ज किए गए बयान में, उसने कहा था कि वह 14 वर्ष की लड़की है और 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। उसके बाद उसने वही कहानी सुनाई जो पिता ने एफआईआर में सुनाई थी। एकमात्र अंतर यह था कि एफआईआर के अनुसार 50,000/- रुपये

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की राशि में बेचे जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अपने बयान में उसने कहा था कि उसका मामा उसे 10,000/- रुपये में नीतू को बेचने वाला था। उसने वास्तव में कहा था कि यह पैसा उसके मामा को भी दिया गया था, यद्यपि उसकी उपस्थिति में नहीं। उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके मामा सोहन प्रताप ने भी उसके साथ बलात्कार का अपराध किया था। जिस तरीके से उसने अपराध किया था, उसका वर्णन करते हुए उसने कहा था कि उसने अपने कपड़े उतारे और उसके बाद अपराध किया। उसने फिर कहा था कि वह साइकिल से वहां से भाग गई और अपने बड़े मामा के घर चली गई। अपने बयान में ही उसने बताया था कि उसने अपने मामा अनिरुद्ध को पूरी कहानी सुनाई थी और उसके बाद बड़े मामा ने उसके पिता को फोन किया था। पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत भी दर्ज किया गया था। 7.9.2016 को चिकित्सीय परीक्षण किया गया और उसी दिन इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात विवेचना के समापन पर जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो आरोप विरचित किए गए। सोहन प्रताप और सतीश के संबंध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 372, 376, 120बी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। नीतू दोहरे के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 372 और 120बी के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। जब अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया, तो विचारण शुरू हुआ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से, कुल पांच अभियोजन गवाह उपस्थित हुए थे।

5. अभियोजन गवाह-1 ब्रजलाल पीड़िता का पिता और प्रथम सूचक था। उसने वही बात कही जो उसने एफआईआर में उल्लिखित की थी। प्रति-परीक्षा में, वह मुख्य-परीक्षण में कही गई अपनी बात पर अडिग रहा। हालांकि, 6.2.2017 को, अभियोजन गवाह-1 ब्रजलाल ने न्यायालय के समक्ष कहा था कि अभियुक्त उसे समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसके बावजूद, प्रति-परीक्षा जारी रही और उसने प्रति-परीक्षा में उन सभी सवालों के जवाब दिए जो उससे पूछे गए थे। उसने उस सुझाव से इनकार किया जो उसे दिया गया था कि उसके और उसके छोटे साले के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर कोई विवाद था। उसने कहा था कि उसके दोनों सालों के साथ उसके अच्छे संबंध थे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. अभियोजन गवाह-2 स्वयं पीड़िता है और उसने भी वही बात कही जो उसके पिता ने एफआईआर में कही थी। अपने मुख्य-परीक्षण में उसने न्यायालय में पूरी कहानी दोहराई। हालांकि, प्रति-परीक्षा में उसने कहा था कि उसके पिता द्वारा खरीदी गई किसी भैंस को लेकर उसके बड़े मामा और छोटे मामा के बीच कुछ विवाद था। उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि बड़े मामा उसके घर अक्सर आते थे। हालांकि, अपनी प्रति-परीक्षा के अंतिम भाग में, उसने कहा था कि "यह कहना सही है कि सोहन प्रताप ने मेरे साथ गलत नहीं किया था"। उसने अपनी प्रति-परीक्षा में यह भी कहा था कि जब सोहन प्रताप उसे ले गया और वे नीतू तथा सतीश से मिले तब वहां कोई और मौजूद नहीं था। उसने यह भी कहा था कि उसने नीतू दोहरे को वास्तव में अपने मामा को कोई भुगतान करते हुए नहीं देखा था। सतीश की ओर से 30.1.2019 को हुई प्रति-परीक्षा में, उसने कहा था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया उसका बयान सही था। हालांकि, उसने कहा था कि वह कभी अकेले अपने मामा के पास नहीं गई थी। ("मैं अकेले मामा के यहां कभी नहीं गई तथा कोई लेकर नहीं आया. घटनास्थल कहां था इसकी मुझे जानकारी नहीं है")

7. अभियोजन गवाह-3 कांस्टेबल अनीता देवी थीं जिन्होंने न्यायालय में चिक साबित किया था।

8. अभियोजन गवाह-4 विवेचना अधिकारी थे और उन्होंने उस तरीके का वर्णन किया जिसमें उन्होंने विवेचना की थी।

9. अभियोजन गवाह-5 डॉ. ममता कुमार थीं और उन्होंने 6.9.2016 को प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय में अपना बयान दिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पीड़िता के शरीर पर न तो कोई बाहरी और न ही कोई आंतरिक चोट थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के निजी अंगों के आसपास कोई मृत या जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया था। हालांकि, उन्होंने कहा था कि चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता की आयु लगभग 14 वर्ष थी।

10. तत्पश्चात अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज कराए गए जिसमें उन्होंने कोई अपराध करने से इनकार किया और कहा कि उन्हें गलत कारणों से मामले में फंसाया गया था।

11. विचारण के समापन पर जब दोषसिद्धि का निर्णय और आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्ता सोहन प्रताप धानुक को धारा 376, 120-बी/372 और 372/511 आई.पी.सी. तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया; अपीलकर्ता सतीश को धारा 120-बी पठित धारा 372 और 372/511 आई.पी.सी. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और अपीलकर्ता-नीतू दोहरे को धारा 120-बी पठित धारा 372 और 372/511 आई.पी.सी. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया, तो तीन अलग-अलग आपराधिक अपीलें दायर की गईं जिन पर आज एक साथ सुनवाई की गई है।

12. आपराधिक अपील संख्या 2581 वर्ष 2019 सोहन प्रताप धानुक द्वारा दायर की गई थी; आपराधिक अपील संख्या 3908 वर्ष 2019 सतीश द्वारा दायर की गई थी और आपराधिक अपील संख्या 3903 वर्ष 2019 नीतू दोहरे उर्फ जितेंद्र सिंह द्वारा दायर की गई थी।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी ने यह प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता निर्दोष थे और उन्हें झूठा फंसाया गया था तथा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं:-

(i) विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुख्य रूप से पीड़िता के पिता और सोहन प्रताप के बीच विवाद के कारण पूरा मामला दर्ज कराया गया था।

(ii) विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन गवाह-1 और अभियोजन गवाह-2 के इस प्रकार दर्ज बयानों में विभिन्न विरोधाभास थे। अभियोजन गवाह-1 ने कहा था कि पीड़िता को 3.9.2016 को सोहन प्रताप द्वारा ले जाया गया था और उसके बाद सतीश के पास ले जाया गया था और वे दोनों एक साथ नीतू के पास गए थे। विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि प्रथम सूचक ने कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया है कि उसे कैसे पता चला कि अपीलकर्ता सतीश और नीतू पीड़िता को खरीदना चाहते थे और उसके बाद उसका लिवर बेचना चाहते थे। सोहन प्रताप और नीतू के बीच बातचीत का गवाह रहा कोई भी व्यक्ति पेश नहीं किया गया। साथ ही सतीश को न तो कभी पुलिस के समक्ष और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

(iii) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि भले ही पिता के अनुसार 50,000/- रुपये का लेनदेन हुआ था, लेकिन पीड़िता ने कहा था कि उसने सुना था कि उसे 10,000/- रुपये में बेचा गया था। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कहा गया था।

(iv) इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि यदि चिकित्सीय परीक्षण को देखा जाए तो पीड़िता के शरीर पर बिल्कुल कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी और इसलिए,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया था।

(v) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि स्वयं पीड़िता ने मुख्य-परीक्षण में कहा था कि उसके मामा सोहन प्रताप द्वारा बलात्कार का अपराध किया गया था, लेकिन प्रति-परीक्षा में उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कहना गलत था कि सोहन प्रताप ने उसके साथ कुछ गलत किया था। प्रति-परीक्षा में दिया गया बयान, चूंकि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहुत जोर दिया गया था, इसलिए उसे यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"यह कहना सही है कि सोहन प्रताप ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया था"

(vi) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता इसके अतिरिक्त प्रस्तुत करते हैं कि यदि अभियुक्त-सतीश द्वारा प्रति-परीक्षा के दौरान दिए गए पीड़िता के बयान को देखा जाए, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। चूंकि, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पीड़िता के उस बयान पर जोर दिया है जो प्रति-परीक्षा में दिया गया है और पेपर बुक के पृष्ठ 37 पर है, इसलिए इसे यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

" मैं अकेले मामा के यहां कभी नहीं गई तथा कोई लेकर नहीं आया. घटनास्थल कहां था इसकी मुझे जानकारी नहीं है।"

(vii) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि प्रति-परीक्षा में अभियोजन गवाह-2 ने कहा था कि 3.9.2016 को ही पीड़िता ने अपने बड़े मामा को पूरी घटना बता दी थी, लेकिन एफआईआर में प्रथम सूचक ने कहा था कि उसने तीन दिन बाद अपनी मां को घटना के बारे में बताया था और इसलिए, यह एक बड़ा विरोधाभास था जिसे स्पष्ट नहीं किया गया था।

(viii) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय का यह कहना कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई दबाव डाला गया था, पूरी तरह से गलत था। वे प्रस्तुत करते हैं कि बिल्कुल कोई दबाव नहीं था और मेडिकल रिपोर्ट स्वयं अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में बोलती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ix) और तो और, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि यहां तक कि पीड़िता के पिता और पीड़िता के विरोधाभासी बयानों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि झूठा फंसाया जा रहा था और इसलिए, वे प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है।

(x) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि न्यायालय का यह कहना कि अभियोजन गवाह-1 और अभियोजन गवाह-2 पर कुछ दबाव डाला गया था, यह भी समझ से परे था क्योंकि कोई द्वितीयक साक्ष्य भी नहीं था जो इस तथ्य को साबित करता कि वास्तव में अपराध हुआ था। वे प्रस्तुत करते हैं कि प्राथमिक साक्ष्य मेडिकल रिपोर्ट है जिसने यह स्थापित किया कि कोई अपराध नहीं हुआ था।

14. विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री सी.बी. धर दुबे ने अपील का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि बलात्कार का अपराध केवल वहीं गठित नहीं होगा जहां वास्तविक प्रवेशन हुआ हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375(सी) और (डी) के अनुसार, प्रवेशन अनिवार्य शर्त नहीं थी। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि अभियोजन गवाह-2 के बयान को उसके सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि अपराध किया गया था और इसलिए, अपील में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

15. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी और विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री सी.बी. धर दुबे द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत, हमारा यह विचार है कि पीड़िता को सुबह लगभग 11.00 बजे उसके मामा सोहन प्रताप द्वारा ले जाने के बाद और रात 11.00 बजे उसके घर पहुंचने तक, किसी स्वतंत्र गवाह का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि उसे वास्तव में बेचने आदि के लिए सतीश और नीतू दोहरे के पास ले जाया गया था। हम यह भी पाते हैं कि अभियोजन गवाह-2 के अनुसार, 3.9.2016 को ही बड़े मामा अनिरुद्ध उर्फ अनुज ने माता को उस घटना के बारे में सूचित कर दिया था जैसा कि पीड़िता ने उसे बताया था, लेकिन एफआईआर में पिता ने कहा था कि उन्हें घटना के बारे में तीन दिन बाद तब पता चला जब पीड़िता ने अपनी माता को इस बारे में बताया था। यह स्वयं दर्शाता है कि अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए किसी प्रकार की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि अभियोजन गवाह-1 (प्रथम सूचनादाता) और अभियोजन गवाह-2 (पीड़िता) ने विभिन्न अवसरों पर (अर्थात् एफआईआर में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 तथा 164 के अंतर्गत बयानों में)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



घटना के बारे में बताया है, लेकिन जब प्रति-परीक्षा की बात आई, तो पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कहना सही है कि सोहन प्रताप ने वास्तव में उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। अभियुक्त-सतीश की ओर से की गई अपनी प्रति-परीक्षा में उसने यह भी कहा था कि वह अपने छोटे मामा के साथ कभी अकेले नहीं गई थी और उसे घटना के वास्तविक स्थान के बारे में कभी जानकारी नहीं थी। हमारा यह भी विचार है कि यद्यपि पीड़िता और उसके पिता के बयान थे, लेकिन चिकित्सा साक्ष्य द्वारा उनकी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि पीड़िता के शरीर पर न तो कोई चोट थी और न ही उसके निजी अंगों के आसपास कोई बाहरी या आंतरिक चोट थी। हम यह भी पाते हैं कि डॉक्टर को कोई शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं मिला था।

16. तात्त्विक विरोधाभासों; साक्ष्य के अभाव और झूठे फंसाए जाने की संभावना के दृष्टिगत, हमारा विचार है कि अपीलें, अर्थात् आपराधिक अपील संख्या 2581 वर्ष 2019; 3903 वर्ष 2019 और 3908 वर्ष 2019 स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

17. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), न्यायालय संख्या 01, औरैया द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 2.3.2019 अपास्त किया जाता है। आपराधिक अपील संख्या 2581 वर्ष 2019 में अपीलकर्ता सोहन प्रताप धानुक; आपराधिक अपील संख्या 3908 वर्ष 2019 में सतीश और आपराधिक अपील संख्या 3903 वर्ष 2019 में नीतू दोहरे को दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता-सोहन प्रताप धानुक जो जेल में है, उसे तत्काल रिहा किया जाए। अपीलकर्ता सतीश और नीतू दोहरे जमानत पर हैं और चूंकि उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए उनके प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

26 मार्च, 2026

जी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”